भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *219
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण बोर्ड'

***219. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारियों और शहीद कर्मियों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के उद्देश्य से एक कल्याण बोर्ड की स्थापना के संबंध में भूतपूर्व-केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण संघ से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *219 दिनांक 10.12.2024

'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण बोर्ड' के संबंध में दिनांक 10.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *219 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के दिवंगत/नि:शक्त कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके) सहित सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी कार्य को देखने के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) की स्थापना पहले ही कर दी है। कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तदंतर राज्य कल्याण अधिकारियों (एसडब्ल्यूओ) और जिला कल्याण अधिकारियों (डीडब्ल्यूओ) की नियुक्ति की है। बोर्ड विभिन्न उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें प्रभावी बजट और निधि आवंटन सुनिश्चित करते हुए, कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक प्रणाली का विकास करना शामिल है। डब्ल्यूएआरबी की प्रमुख गतिविधियों में पुनर्वास और कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना, कार्मिकों और आश्रितों के अद्यतन रिकॉर्ड रखना तथा वित्तीय राहत, करियर सहायता और चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान करना शामिल है। यह एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से डेटा की उपलब्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और अपनी पहलों में सहायता के लिए कल्याण अनुदानों का उपयोग करता है।

*****